सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2022 / 231 दर्ज तिथिः–19.07.2022

1. मांगाराम पुत्र हडमानराम
2. माड़ू पत्नी हडमानराम
   जाति जाट निवासी खारडी बेरी तहसील गुडामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. केहरी पत्नी मूलाराम
2. चोला पुत्र मूलाराम
3. पन्ना पुत्र मूला
4. हड़ुमान पुत्र मूला
5. गोरधन पुत्र मूला फौत के कायम मुकाम
   5/1 नरेश पुत्र गोरधन
   5/2 कमला पुत्री गोरधन
   5/3 दुर्गी कुमारी पुत्री गोरधन (विप्रार्थी संख्या 5/1 से 5/3 नाबालिग की कुदरती वली माता विप्रार्थी संख्या 5/4 देउ देवी)
   5/4 देउ देवी पत्नी गोरधन
   जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुडामालानी बाडमेर
6. प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सडा
7. तहसीलदार गुडामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 121 / 1 / 9.7124 है0, मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी आराजी के पडोस में अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 121 / 7.5676 है0, मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी का मूल खसरा एक ही 121 था।

2. इस प्रकार मूल खसरा संख्या 121 रकबा 107 बीघा में से प्रार्थीगण के पिता ने दिनांक 07.10.1974 जरिये पंजीकृत बयनामा 60 बीघा भूमि क्रय की गई थी। दिनांक 07.10. 1974 जरिये पंजीकृत बयनामा में 60 बीघा भूमि की दिशाएं '' उत्तर दिशा में अचला व नथा का खेत, दक्षिण दिशा करना का खेत, उगमना अर्थात पूर्व दिशा में रास्ता व भगवानराम का खेत व पश्चिम दिशा में बेचान कर्ता मूला स्वयं की शेष भूमि '' अंकित की गई हैं। परन्तु दिनांक 07.10.1974 जरिये पंजीकृत बयनामा 60 बीघा भूमि के नामांतकरण में समय दिनांक 07.10.1974 जरिये पंजीकृत बयनामा में अंकित दिशाओं के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे के सही की गई।

3. परन्तु पुराने नक्शा को ऑनलाइन करते समय तरमीम गलत कर दी गई। उक्त गलत तरमीम के कारण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आंशिक आराजी को अप्रार्थीगण की तरमीम के अंतर्गत दर्शाकर अंकित किया गया है। इससे प्रार्थी के कब्जे की खातेदारी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत तामिल उपस्थित हुए तथा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

5. प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/06/2022 10:44:10 AM

:बाड़मेर
तहसील : गुढामलानी
भू. अ. नि. क्षेत्र :नगर
…री हल्का :खुडाला
ग्राम : खुडाला

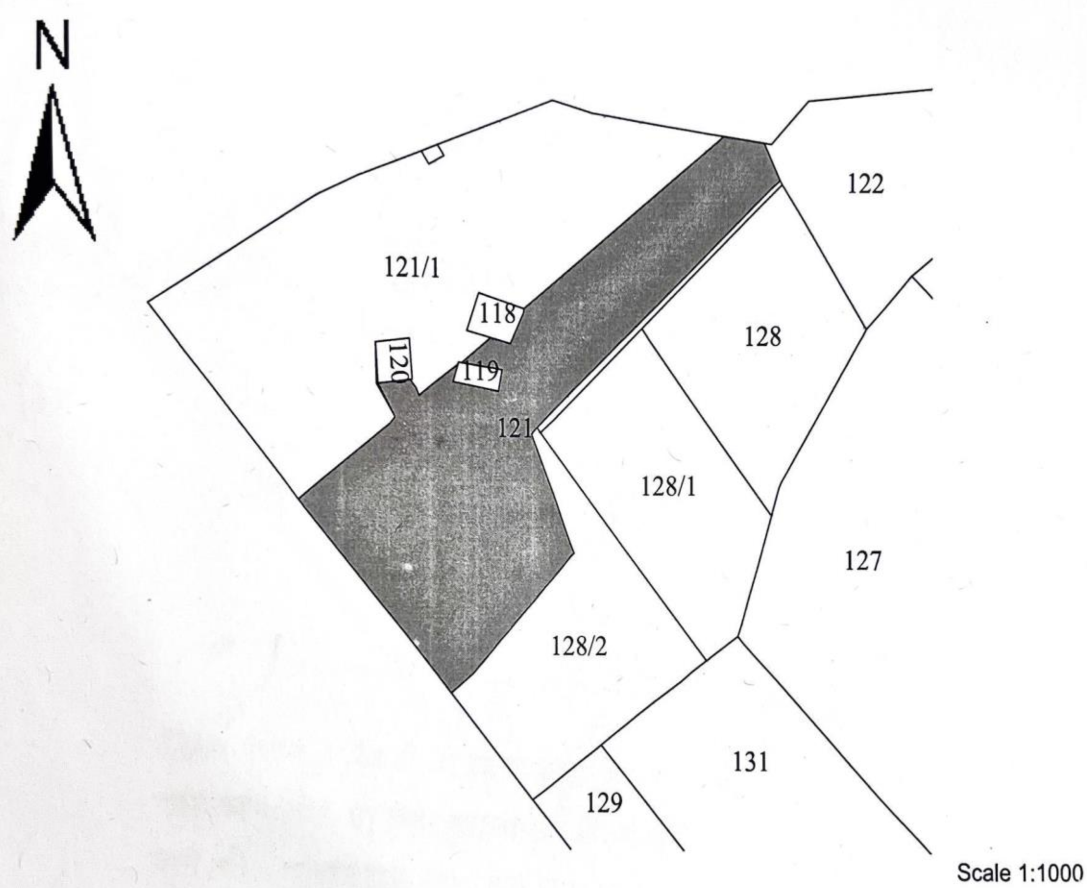

खसरा संख्या :121 क्षेत्रफल : 7.5676 Hectare खाता संख्या : 96पुराना खाता संख्या :77
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [7.5676, 2.88]
.) हड्‌मान पुत्र मुला हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार
.) पन्ना पुत्र मुला हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार
.) केहरी पत्नि मुला हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार
.) गोरधन पुत्र मुला हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार
.) चौला पुत्र मुला हिस्सा- 1/5 जाति- जाट सा. देह खातेदार हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) RMGB सड़

सत्य प्रतिलिपि P-35 के क्रमांक पर दर्ज कर जारी की

08/06/22

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

खुडाला, तह.गुड़ामालानी

5\. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 121 / 1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 121 मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

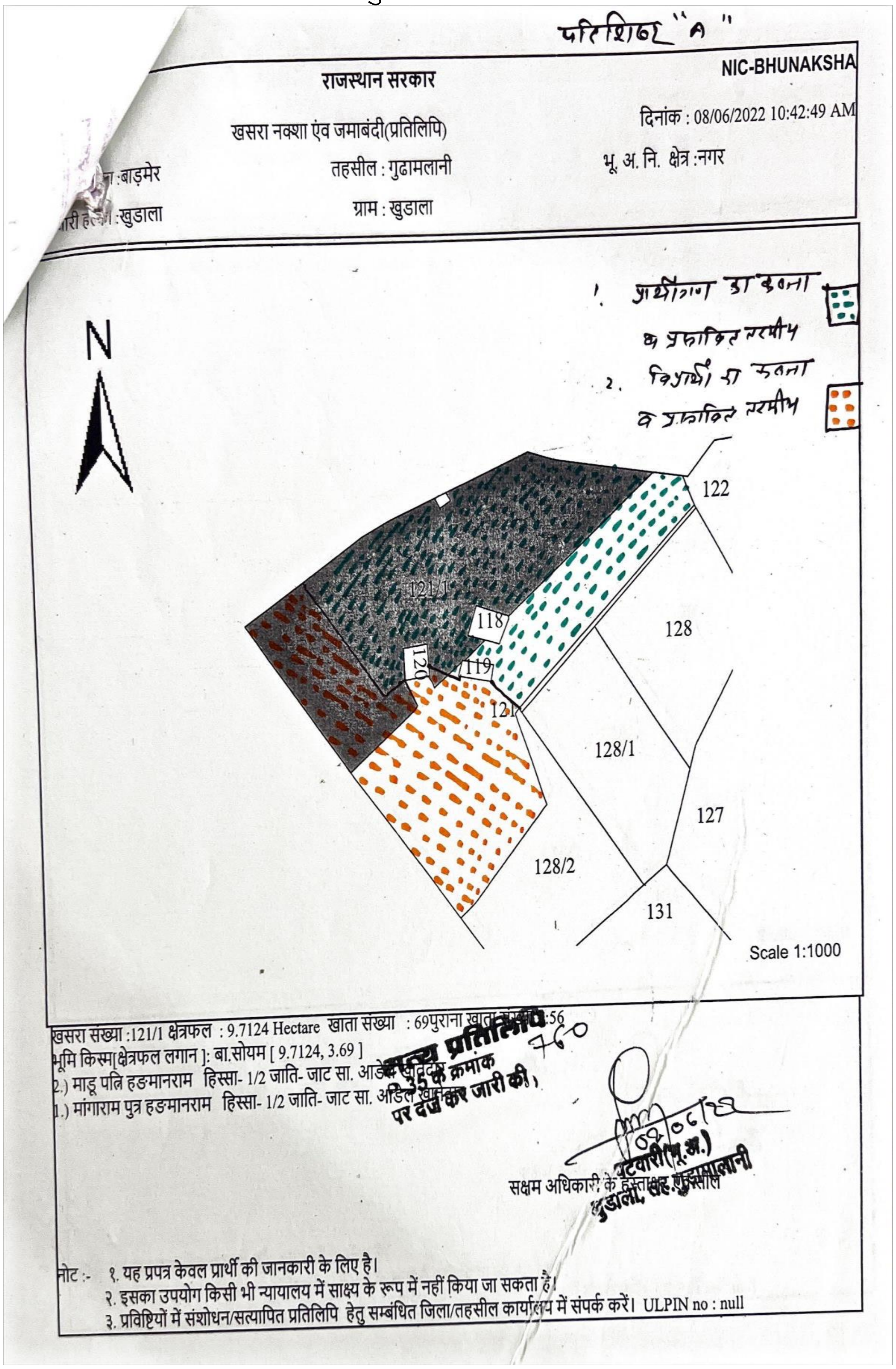

परिशिष्ट "A"

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 08/06/2022 10:42:49 AM

:बाड़मेर | तहसील : गुढामलानी | भू. अ. नि. क्षेत्र :नगर

:खुडाला | ग्राम : खुडाला

खसरा संख्या :121/1 क्षेत्रफल : 9.7124 Hectare खाता संख्या : 69पुराना खाता संख्या :56
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [9.7124, 3.69]
2.) माडू पत्नि हङमानराम हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. आडेल खातेदार
1.) मांगाराम पुत्र हङमानराम हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. आडेल खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में बेचान दिनांक 07.10.1974 में अंकित दिशाओं व मौके पर कब्जे के अनुसार की गई तरमीम युक्त पुराने नक्शा का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

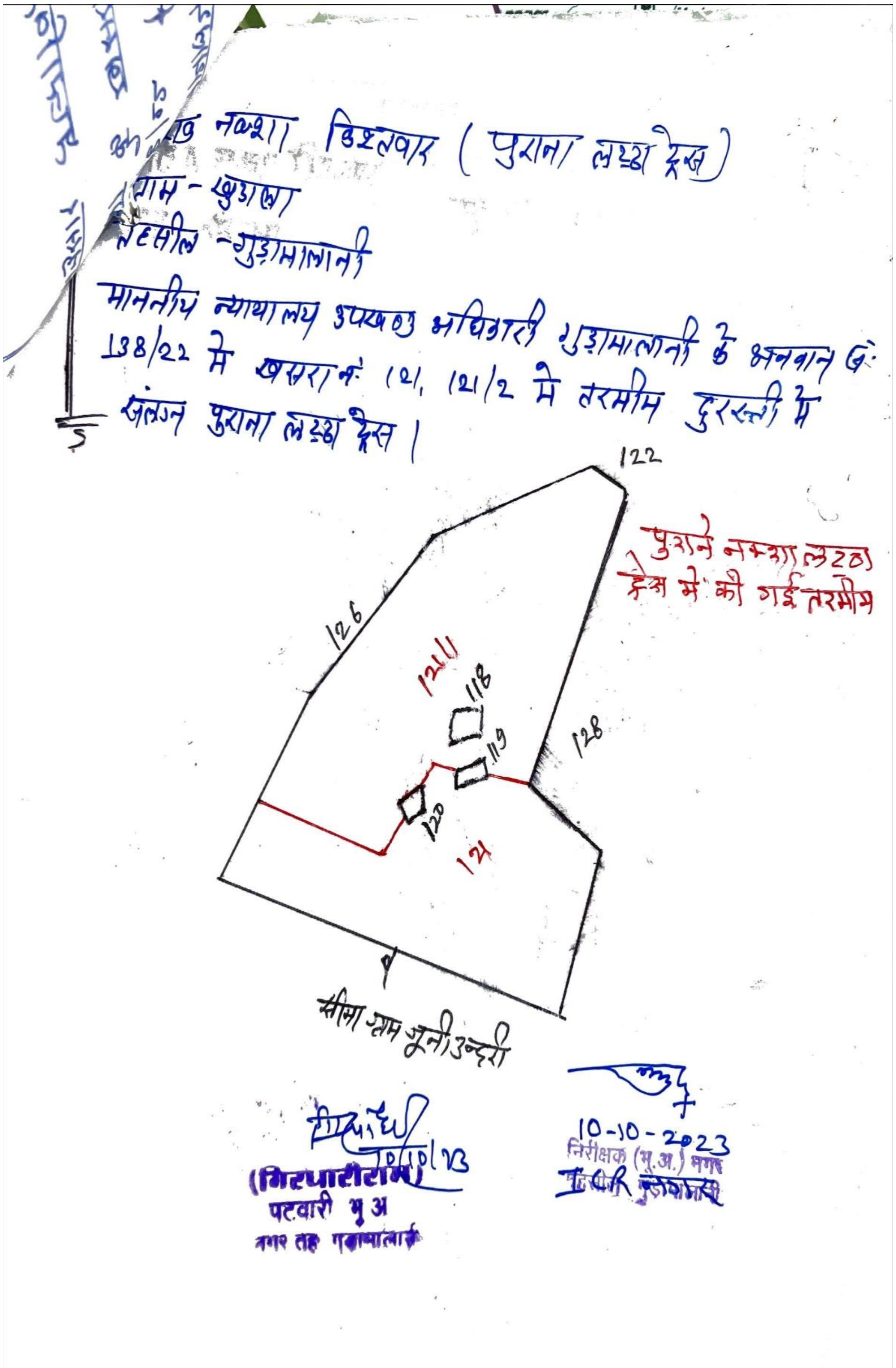

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

7. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक／भू.अ.／2024／220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक／भू.अ.／2024／220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

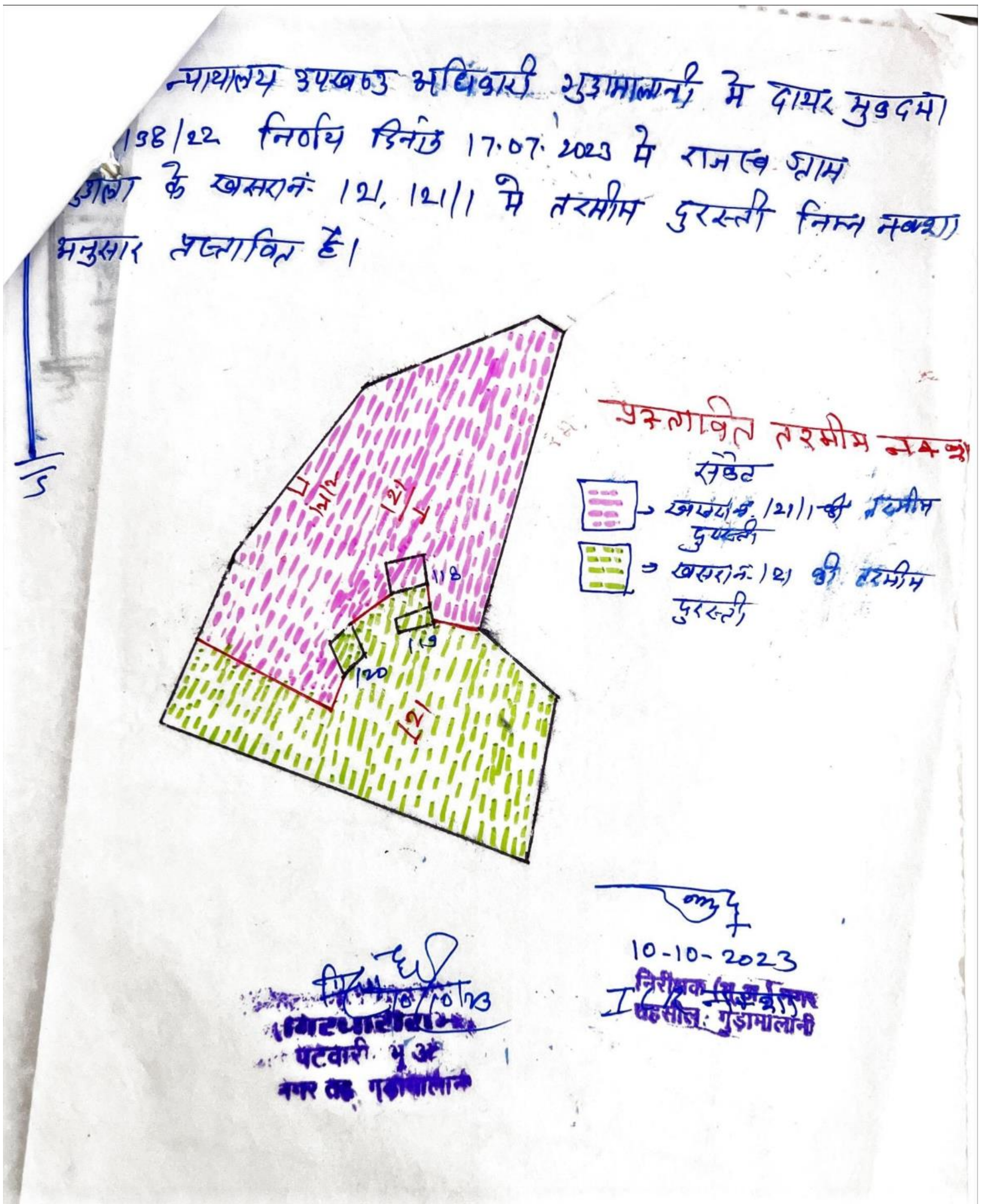

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक／भू.अ.／2024／220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

> पुराने नक्शा में खसरा संख्या 121／1 की तरमीम वर्तमान कब्जाकाश्त, ढाणियों की अनुसार सही की गई है। परन्तु नये नक्शे ट्रेस में कब्जा काश्त, ढाणियों से हटकर तरमीम की गई है। संलग्न नक्शा ट्रेस में वर्तमान कब्जाकाश्त, ढाणियों की अनुसार तरमीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित की गई है। पुराने नक्शा में भी इसी अनुसार व बेचान दस्तावेज में बताये गये दिशा व सेढा पडोस के अनुसार तरमीम की गई है।

9. प्रकरण में दिनांक 07.10.1974 जरिये पंजीकृत बयनामा में 60 बीघा भूमि की दिशाएं के प्रासांगिक विवरण का इस प्रकार हैः–

उत्तर दिशा में अचला व नथा का खेत, दक्षिण दिशा करना का खेत, उगमना अर्थात पूर्व दिशा में रास्ता व भगवानराम का खेत व पश्चिम दिशा में बेचान कर्ता मूला स्वयं की शेष भूमि की है।

10. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 121/1 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 121 मौजा खुडाला तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु बेचान दिनांक 07.10.1974 में अंकित दिशाओं व मौके पर कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु बेचान दिनांक 07.10.1974 में अंकित दिशाओं व मौके पर कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/220 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.09 13:44:42 IST
Reason: SelfAttested